झारखण्ड सरकार

जल संसाधन विभाग।

सं॰सं॰–8/ज॰ सं॰(नि॰) सु॰परि॰–06/2013–   /राँची,दिनांक–

संकल्प

श्री रतन कुमार शर्मा, तत्कालीन सहायक अभियंता, सुवर्णरेखा नहर प्रमंडल जमशेदपुर के विरूद्ध विभागीय संकल्प ज्ञापांक–728 दिनांक–13.05.14 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गई। उक्त विभागीय कार्यवाही में मुख्य अभियंता, सुवर्णरेखा बहुद्धेशीय परियोजना चांडिल कॉम्पलेक्स जमशेदपुर को जाँच पदाधिकारी नियुक्त किया गया था। जाँच पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन की समीक्षा के क्रम में संचालन पदाधिकारी के प्रतिवेदन से असहमत होते हुए सरकार द्वारा पुनः इस मामले में नये सिरे से विभागीय कार्यवाही संचालित करने का निर्णय लिया गया है।

2) उक्त निर्णय के आलोक में श्री रतन कुमार शर्मा सेवानिवृत सहायक अभियंता के विरूद्ध झारखंड पेंशन नियमावली के नियम–43 B के तहत् विभागीय कार्यवाही संचालन हेतु श्री अशोक कुमार सिन्हा, सेवानिवृत, भा॰प्र॰से॰ विभागीय जाँच पदाधिकारी को संचालन पदाधिकारी तथा अधीक्षण अभियंता, सुवर्णरेखा नहर अंचल, जमशेदपुर को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है।

3) विभागीय संकल्प ज्ञापांक–728 दिनांक–13.05.14 की अन्य कण्डिकायें एवं शर्तें यथावत रहेंगी।

4) उक्त प्रस्ताव पर माननीय विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।

आदेशः– आदेश दिया जाता है कि संकल्प की एक प्रति अनुबंध की प्रति के साथः– श्री अशोक कुमार सिन्हा, सेवानिवृत्त भा॰ प्र॰ से॰, टी॰ ए॰ डिवीजन बिल्डिंग गोलचक्कर धुर्वा राँची / अधीक्षण अभियंता, सुवर्णरेखा नहर अंचल, जमशेदपुर/ श्री रतन कुमार शर्मा, सेवानिवृत्त सहायक अभियंता, 201 आशियाना वुडलैंडस, ग्राम–फदलूगोड़ा (NH-33 काली मन्दिर के पास) पो॰–कान्दरबेड़ा, जिला–सरायकेला–खरसावाँ (झारखंड)–832401 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए भेज दी जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से

ह०/–

(बिन्दु माधव प्रसाद सिंह)

सरकार के उप सचिव।

कृ॰पृ॰उ॰

ज्ञापांक–   /राँची, दिनांक –

प्रतिलिपि–अनुबंध की प्रति के साथ श्री अशोक कुमार सिन्हा, सेवा निवृत्त भा॰ प्र॰ से॰, टी॰ ए॰ डिवीजन बिल्डिंग गोलचक्कर, धुर्वा, राँची / अधीक्षण अभियंता, सुवर्णरेखा नहर अंचल, जमशेदपुर/ श्री रतन कुमार शर्मा, सेवानिवृत्त सहायक अभियंता, 201 आशियाना वुडलैंडस, ग्राम–फदलूगोड़ा (NH-33 काली मन्दिर के पास) पो॰–कान्दरबेड़ा, मध्यापिउल जिला–सरायकेला–खरसावाँ (झारखंड)–832401 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए प्रेषित।

अनु0ः–यथोक्त।

ह०/–

(बिन्दु माधव प्रसाद सिंह)

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक– 2431   / राँची, दिनांक – 19-5-15

प्रतिलिपि– संयुक्त सचिव (प्र॰), जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची/ वेब मैनेजर, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड रांची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

19.5.15

(बिन्दु माधव प्रसाद सिंह)

सरकार के उप सचिव।

19.5.15